

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4710  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

### लोक अदालत

#### 4710. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक अदालत का आयोजन करके लंबित मामलों को निपटाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के लिए लोक अदालत आयोजित करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में ऐसी अदालतों के आयोजन हेतु निर्धारित समयावधि का ब्यौरा क्या है तथा आज तक निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है ?

### उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

**(क)** : लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा कि वे उचित समझते हैं, ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम की जा सके और विवादों को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में ही निपटाया जा सके। लोक अदालतें कोई स्थायी संस्था नहीं हैं और संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट न्यायालयों के लंबित मामलों को संभालती हैं। चूँकि लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं होती हैं, इसलिए सभी अनिर्णित मामले संबंधित न्यायालयों को वापस कर दिए जाते हैं और इसलिए लोक अदालतों में कुछ भी लंबित नहीं रहता है। यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार की लोक अदालत के आयोजन से पहले कोई विनिर्दिष्ट निपटान लक्ष्य तय नहीं किया जाता है।

**(ख) और (ग) :** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिकाधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश/निदेश जारी किए गए हैं, ताकि लंबित मामलों की संख्या कम की जा सके। प्रत्येक वर्ष, नालसा राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है। वर्ष 2025 के दौरान, 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसके पश्चात् 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित करने का कार्यक्रम है। राज्य लोक अदालतें स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती हैं। लोक अदालतें समय-समय पर बड़ी संख्या में मामलों का समाधान करके न्यायालयों के मामला भार को कम करती हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (दिसंबर तक) के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	मुकदमे-पूर्व निपटाए गए मामले	निपटाए गए लंबित मामले	कुल निपटाए गए मामले
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119

(ii) राज्य लोक अदालत

वर्ष	मुकदमे-पूर्व निपटाए गए मामले	निपटाए गए लंबित मामले	कुल निपटाए गए मामले
2022-23	94,939	7,56,370	8,51,309
2023-24	2,19,230	9,87,873	12,07,103
2024-25	7,68,560	4,39,667	12,08,227

(iii) स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं)

वर्ष	कुल निपटाए गए मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25	1,61,277

\*\*\*\*\*